कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 29/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री जयसिंह सिलण पुत्र श्री मामचन्द जाति धाणक निवासी भोजासर तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।

––प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः–04.07.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी की अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–हनुमानगढ़, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत–भोजासर के सम्बन्ध में की गई है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से बिन्दु संख्या 1 से 7 तक ग्राम पंचायत–भोजासर से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत–भोजासर से सूचना निःशुल्क दिलाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 558 दिनांक 24.06.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2019 के अनुसार रेस्पो. नं. 2 ता 3 ने किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रेस्पो. नं. 2 ता 3 से सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपील का अवलोकन करने से यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–हनुमानगढ़, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत–भोजासर के संबंध में होना पाई गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ की हद तक रखते हुए शेष जिला प्रमुख जिला परिषद–हनुमानगढ़, प्रधान पंचायत समिति–भादरा व सरपंच ग्राम पंचायत–भोजासर को अपील की एक–एक प्रति प्रेषित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को दी गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र कमांक 359 दिनाक 15.04.2019 की प्रति का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 से 8 तक की सूचना के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा को व प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए पत्रांक 384 दिनांक 24.04.2019 द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–हनुमानगढ़ को प्रार्थना पत्र की एक प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–हनुमानगढ़, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति–भादरा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाने पर सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए अपीलार्थी स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ